मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

एम.ए.सी.पी. संख्या २८०/२०१९,
बृजमोहन उर्फ हरीमोहन पुत्र श्री राम स्वरूप कुशवाहा उम्र ०८ वर्ष जरिए पिता एवं प्राकृतिक संरक्षक राम स्वरूप पुत्र स्व. छोटे लाल उम्र ४१ वर्ष निवासी खेरापुरा चिरगाँव तहसील मोंठ जिला झाँसी, उ.प्र.

------------याची।

प्रति

१. अनुराग पुत्र श्री रमेश निवासी ग्राम १३९ गढ़मऊ थाना बड़ागॉव तहसील व जिला झाँसी उ.प्र.

.......चालक ट्रक नं. यू.पी. ९३ बी टी ४३१४

२. राकेश कुमार साहू पुत्र श्री नन्दराम साहू निवासी ५२०/२ कोछाभाँवर, झाँसी तहसील व जिला झाँसी उ.प्र.

..........पंजीकृत स्वामी ट्रक नं. यू.पी. ९३ बी टी ४३१४

३. चोला एम.एस. जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड द्वितीय तल, ४ मेरीगोल्ड, शाहनजफ रोड, लखनऊ जरिए क्लेम इंजार्ज चोला एम.एस. जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड-श्रीराम वाटिका हाउस नं. एस-१०/६ए-११, मकबूल आलम रोड, श्रीकान्त नगर कालोनी, वाराणसी जिला वाराणसी, उ.प्र. २२१००२

.....बीमाकर्ता ट्रक नं. यू.पी. ९३ बी टी ४३१४

----------विपक्षीगण ।

याची के अधिवक्ता- श्री राजीव गुप्ता
विपक्षी सं. १ व २ के अधिवक्ता- श्री राकेश चन्द्र साहू
विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता- श्री सुनील शुक्ला

०१.११.२०२०

पत्रावली आज E-Lok Adalat में पेश हुयी। याची जरिये संरक्षक पिता व उनके विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी सं. ३ चोला एम.एस. जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायाधिकरण के वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये ।

याची व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के मध्य हुए सुलहनामा ३५बी पर याची व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। ३५बी सुलहनामा उभय पक्ष की उपस्थिति में आज न्यायाधिकरण द्वारा न्यायालय में तस्दीक किया गया। ३५बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ ३०,००० याची को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा ३५बी की पुष्टि की गयी है तथा याची सुलहनामा ३५बी में दर्शित कुल ₹३ ०,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी याची को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा ३५बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याची की याचिका सुलहनामा ३५बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा ३५बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं. ३ चोला एम.एस. जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि ₹ ३०,००० (तीस हजार) मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के सिंडीकेट बैंक के खाता सं. ९२३५२०१०००८५६० आई.एफ.सी. सं. SYNB0009235 में आर.टी.जी.एस./ नेफ्ट के माध्यम से कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po@mactjhansi.in व po-mact.jh@up.gov. in पर भेजी जाएगी। उक्त प्रतिकर की आधी धनराशि याची बृजमोहन उर्फ हरीमोहन अवयस्क जरिए पिता व प्राकृतिक संरक्षक रामस्वरूप आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त कर सकेगा, जो धनराशि संरक्षक रामस्वरूप अवयस्क बृजमोहन उर्फ हरीमोहन के उपयोग व उपभोग में व्यय करेगा एवं आधी धनराशि याची के वयस्क होने तक सावधि जमा मे निवेशित की जाएगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.11.01 16:51:54 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi